

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/पीजी-संशोधित/2017/ दिनांक :

—: संशोधित आदेश :-

निम्नलिखित चिकित्सकों के पूर्व में स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. डॉ० उमेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी (फिजियोलोजी) मेडिकल कॉलेज, जयपुर का निदेशालय के आदेश क्रमांक 1078 दिनांक 4.09.2015 में अध्ययन अवकाश दिनांक 10.06.2015 से 9.06.2017 तक स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर दिनांक 10.06.2015 से 9.06.2018 तक पढ़ा जावे।
2. डॉ. निशिता पाण्डे, मेडिकल कॉलेज, जयपुर का सीएएस, पीजी के दौरान दिनांक 1.5.2002 से 7.6.2002 तक कुल 38 दिवस का उपार्जित अवकाश उनके अवकाश शेष 141 दिवस में से एवं दिनांक 8.6.2002 व 9.6.2002 का राजपत्रित अवकाश के उपभोग की एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।
3. डॉ मनोज डूडी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर का सीएएस पीजी एमडी (पीएसएम) के दौरान दिनांक 9.7.2012 से 16.7.2012 तक कुल 08 दिवस का उपार्जित अवकाश उनके अवकाश शेष 54 दिवस में से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।
4. डॉ० ललित डिडवानिया, चिकित्सा अधिकारी (फिजियोलोजी) मेडिकल कॉलेज, अजमेर का निदेशालय के आदेश क्रमांक 44 दिनांक 25.01.2014 में अध्ययन अवकाश दिनांक 9.09.2013 से 8.09.2016 तक स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर दिनांक 8.09.2013 से 7.09.2016 तक पढ़ा जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/पीजी-संशोधित/2017/ 607

दिनांक : 17/4/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविधालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/उदयपुर/अजमेर।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. डीलिंग सहायक, सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
6. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।